an>

Title: Regarding reported deaths of labourers working in Tea gardens in Darjeeling area of West Bengal. h

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): माननीय अध्यक्ष जी, आपने शून्यकाल में मुझे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं।

अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी इंग्लैंड गये थे और वहां की महारानी से दोपहर के भोजन में मुलाकात हुई थी। बहुत सारे वह उपहार लेकर गये थे और उनमें एक विशेष वस्तु लेकर गये थे जिसमें मकईबाड़ी की दार्जीलिंग की चाय भी उनको उपहार स्वरूप दी गई थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के नाम पर जो पहला जी.आई. आइडेंटिफाइ हुआ है, वह चाय डब्ल्यू.टी.ओ. में आइडेंटिफाई हुई है और वह चाय हमारे इलाके से है।

हमें आज दुर्भाग्य से बोलना पड़ रहा है कि दार्जीलिंग इलाके में और डुआर्स रीजन में वर्ष 2002 से लेकर अब तक करीब 2000 चाय बागान के मजदूर अनाहार के कारण या दुर्भिक्ष के कारण या किसी रोग के कारण मर गये हैं और उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए थीं, वे उनको नहीं मिलीं हैं। वर्ष 2002 से ऐसा हो रहा है और इसी वर्ष करीब 70 चाय बागान के मजदूरों की मौत हो गई है। चाय बागान के व्यवसाय में वहां किस तरह से गड़बड़ हो रही है कि चाय बागान के मालिक वहां से भाग जा रहे हैं और इनको भगवान भरोसे छोड़कर वे चले जा रहे हैं। लेकिन यह जघन्य अपराध है क्योंकि वे उनके कर्मचारी हैं। लॉस और प्रॉफिट जो भी हो रहा है, वह मजदूरों को मिलाकर ही उनके साथ शेयर करके ही उनको आगे चलना है किंतु दुर्भाग्य की बात है कि जो प्लांटेशन लेबर एक्ट वर्ष 1951 में बना था, वह अभी तक चलता है। उसमें सैक्शन 39 और 40 ऐसे सैक्शन हैं कि वहां का चाय बागान का मालिक या मैनेजर कोई निर्णय लेता है तो उसे किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकती जब तक इंस्पेक्टर से प्रोसीक्यूशन सैंक्शन न लिया जाए। इसलिए इसमें संशोधन करने की जरूरत है।

दार्जीलिंग और डुआर्स रीजन में लोएस्ट पे 112 रुपये प्रतिदिन है जबकि वैस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर वर्कर की मिनिमम वेजेज 206 रुपये है। यह जो अन्याय हो रहा है, मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत हम तरह तरह के कानून बनाते हैं, इसी संसद में पास करते हैं कि मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मजदूरी मिलेगी किंतु हरेक राज्य में उसके अलग अलग मापदंड हैं। किंतु हमारे चाय बागान के मजदूर उससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित और दुखी हो रहे हैं। केरल और कर्नाटक में भी चाय बागान के मजदूरों को 254 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है जबकि हमारे यहां सिर्फ 112 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। वैस्ट बंगाल में करीब 87 चाय बागान ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है और वे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते हैं। 112 ऐसे चाय बागान हैं जिनमें पिछले दस वर्षों में कई बार मालिकाना हक बदले हैं, मालिक बदल गये हैं, कहीं कोई विट फंड वाला मालिक बन जाता है, कभी कोई और बन जाता है और अपना दोहन-शोषण करके पैसे बनाकर निकल जाता है। वहां पर 2,62,000 मजदूरों में करीब 95000 मजदूरों के पास अभी तक चाय बागान वालों ने उनको मकान नहीं दिये हैं। 273 चाय बागानों में 166 चाय बागानों में अस्पताल हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर 166 में 92 ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास एम.बी.बी.एस. की डिग्री नहीं है लेकिन ऐसे लोगों को डॉक्टर दिखाकर उनके साथ नर्से बिठाकर, एक मेडिकल सेंटर बनाकर मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यानी मजदूरों को जो इलाज मिलना चाहिए, वह इलाज उनको नहीं मिलता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि तुरंत ही जो लैंड राइट्स हैं, जो सैकड़ों वर्षों से वहां मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनको रहने के लिए मकान मिलना चाहिए। अगर चाय बगानों के मजदूर वहां से निकलते हैं तो चाय बगानों का वह हिस्सा जहां चाय की खेती नहीं होती है, उस हिस्से में उनके लिए मकान बनाने का प्रावधान किया जाए। हमारी सरकार कहती है कि हर आदमी के पास घर होगा, छत होगी। "हाउस फार आल" की पालिसी ला रहे हैं, इसलिए चाय मजदूरों के लिए यह प्रावधान लाना चाहिए। जब तक मिनिमम वेजिज एक्ट लागू नहीं होता है, तब तक पश्चिम बंगाल में चाय बगान के जितने मजदूर हैं, उन सभी को बिलो पावर्टी लाइन घोषित करना चाहिए और बी.पी.एल. को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी या हाई पॉवर कमेटी बनाने की जरूरत है जो कि राज्य सरकार से मिल कर उनकी सारी मुश्किलों को सुनकर उनका समाधान करे जैसे कि चाय बगान इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। महोदया, वर्ष 1951 के हालात को देखते हुए जो प्लांटेशन लेबर एक्ट बना था, उसके प्रावधानों को बदलने की जरूरत है और कंप्रेहेंसिव अमेंडमेंट करने की जरूरत है। टी-बोर्ड को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जिस चाय बगान का मालिक उसे बंद करके भाग जाता है, मालिक के खिलाफ तो कार्यवाही की जानी चाहिए किंतु वहां जो मजदूर भूखे मर रहे हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिल रहा है, इसे भी देखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग भी करता हूं कि फूड सिक्योरिटी के तहत उन सभी को मदद मिले।

मंत्री महोदया सदन में उपस्थित हैं। उनके लिए फूड सिक्योरिटी कम्प्लसरी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) नहीं दिया गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। मंत्री जी रिप्लाई दे रही हैं। आप सभी अपने को इस विषय से संबद्ध कर सकते हैं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन, श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री कामाख्या प्रसाद तासा, श्री रामेश्वर तेली, श्री लखन लाल साहू, *m07 श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर, श्री एम.बी.राजेश, श्री जोस के. मणि, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकांत दुबे को श्री एस.एस. अहलुवालिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी को बोलने के लिए अलाऊ नहीं करूंगी। आपमें से कोई एक इस विषय पर मंत्री जी से पहले बोल सकता है।

â€¦(व्यवधान)

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Madam, in this conflict between the capitalists and the labourers on the tea plantations of Northern part of West Bengal, we stand resolutely on the side of the tea plantation workers. The State Government of West Bengal is doing its best to provide food security in a very difficult situation, and we want to bring any legislative changes that may be necessaryâ€¦ (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Thank you.

All others may associate themselves on this issue.

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं लेकिन टी-प्लांटेशन के बारे में आजादी के बाद से जब से ये नियम बने हैं, तब से यह संकट का विषय बना हुआ है और इस बारे में विस्तार से राज्य सरकारों की भी सहमति लेनी होगी और केंद्र सरकार को भी इसमें पहल करनी होगी। माननीय मंत्री जी अगर इस विषय में कुछ कहना चाहती हैं, तो ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने मंत्री जी को इस विषय पर बोलने के लिए अलाऊ कर दिया है।

Now, let the concerned Minister reply. I am allowing her.

*m17

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Speaker Madam. The hon. Member has raised a very, very sensitive issue.

HON. SPEAKER: That is why I have allowed you to speak on it.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Since last year, this is a matter of great concern for us. In fact, I visited North Bengal, particularly, some tea estates from where we have reports of alleged deaths of workers. I have gone and visited, and seen the situation then. But certainly, the hon. Member has raised a very, very important issue and a lot of people have also identified and associated themselves. I will come with a comprehensive reply subsequently.

HON. SPEAKER: It is okay.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप इस तरह से प्रश्नोत्तरी मत कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: She has already said that he will come with a comprehensive reply.

Thank you, Madam Minister. Thank you very much.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri K. Parasuraman.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि वे सदन को इस बारे में अवगत कराएंगी।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

â€¦(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को बंद चाय बगानों को खोलने के लिए क़दम उठाने चाहिए। मंत्री जी इस बात का उत्तर देने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) मंत्री जी इस विषय पर और भी बोलना चाहती हैं।â€¦(व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Madam, the hon. Minister has already said that she is going to come back comprehensively on that...(*Interruptions*) She has said that...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि वे आपको इस विषय से आपको अवगत कराएंगी। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या आप कुछ और भी कहना चाहती हैं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने अपनी बात कह दी है।

â€¦(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Speaker Madam, I only wanted to reassure the hon. Member that I have given a reply that I will come back with a comprehensive reply on this issue...(*Interruptions*)